राजस्थान सरकार

निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ4(ई)/द्वितीय ए.सी.पी. /1994/अलेसे–III/12102-105 दिनांकः– 23.11.2015

आदेश संख्या...132.../2015–16

श्री ललित कुमार गुप्ता (DGS) लिंक नं. 2763 की कनिष्ठ लेखाकार पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति तिथि 01.06.1996 हैं। श्री ललित कुमार गुप्ता ने कनिष्ठ लेखाकार पद पर 9 वर्ष की निरन्तर सेवा दिनांक 01.06.2005 को पूर्ण कर ली है, अतः श्री गुप्ता को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.6(2)(एफडी)(रूल्स) 98/ दिनांक 17.2.1998 के अनुसरण में दिनांक 01.06.2005 से कनिष्ठ लेखाकार के पद का प्रथम चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला (5500–175–9000) में स्वीकृत किया जाता है।

श्री ललित कुमार गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प01 (20) वित्त/ ग्रुप–2/ 92 दिनांक 23.4.1994 में दी हुई शर्तो के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7(1) (डीओपी)/ क–2/95 दिनांक 20.6.2001 के क्रम में सन्तान संबंधी धोषणा प्राप्ति के आधार पर प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता हैं।

श्री ललित कुमार गुप्ता के वर्ष 2006–07 एवं 2008–09 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर गत नौ वर्षो में से सात वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार प्रथम चयनित वेतनमान इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन मे प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जायेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम चयनित वेतनमान के बारे में निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जायेगा।

श्री ललित कुमार गुप्ता का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 07.02.1998 के पैरा 10 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि कार्मिक को पूर्व में प्रथम चयनित वेतन मान स्वीकृत नही किया गया है तथा प्रथम चयनित वेतन मान देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक इन्हे कोई दण्ड नहीं दिया गया है तथा इनके विरूद्ध फोजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है एवं नियमित रूप से वेतन वृद्धियां मिल रही है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से कार्मिक की सेवा पुस्तिका में की जावे।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :– एफ4(ई)/द्वितीय ए.सी.पी. /1994/अलेसे–III/12102-105 दिनांकः– 23.11.2015

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त सचिव, वित (व्यय–4 एवं सा.वि.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्री ललित कुमार गुप्ता कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय संयुक्त सचिव, वित (व्यय–4 एवं सा.वि.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. उपनिदेशक (एसीपी), वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
4. निजी / गार्ड फाईल।
5. अति. निदेशक (कार्मिक-I) APAR शाखा को प्रेषित कर लेख है कि श्री गुप्ता के भविष्य में प्राप्त होने वाले वा. का. मू. प्रति. वर्ष 2006-07 एवं 2008-09 में यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टि हो तो प्रकरण पुनः खोलने के प्रस्ताव प्रेषित करें।

(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–III)